न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 5/2019 | **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/00873**
दायर दिनांक :– 09.01.2019 | **निर्णय दिनांक :– 24.04.2025**

1. उगमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम्

1. गोपालसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
2. रेवन्तसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
3. कवराजसिंह पुत्र अगरसिंह जाति राजपूत निवासी खुमाणसिंह की ढाणी, पारासर फलसूड तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:निर्णयः–

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा दुर्जन पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप में प्रार्थी की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 203 रकबा 32–10 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की भूमि खसरा नम्बर 226/4 तथा खसरा नम्बर 227/1 भूमि ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप में आई हुई है। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 203 की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का खसरा नम्बर 226/4 व 227/1 की भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थी को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को बंद करने को आमादा है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अप्रार्थीगण की भूमि से लगती नहर चलती है जिसके पटड़े (डामर सड़क) उपयोग हेतु प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता करणीसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जवाब पेश नहीं करना चाहते है इनका जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली में बहस सुनी गई।

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बाप से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार–

1. प्रार्थी वर्तमान में अस्थाई तौर पर खसरा नंबर 203 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 226/4 व 227/1 के किनारे से उपयोग में ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 226/4 व 227/1 के निकटतम नहर निकलती है जिसके पटड़ा पर डामर सड़क है।
3. यदि खसरा नंबर 226/4 व 227/1 में से रास्ता दिया जाता है तो 17040 वर्ग फीट व 1980 वर्ग फीट भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार बाप की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप के खसरा नंबर 226/4 रकबा 17040 वर्ग फीट व खसरा नम्बर 227/1 रकबा 1980 वर्ग फीट मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार बाप द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के

21/5/15

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। रास्ते की एवज में प्रतिकर की राशि का भुगतान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को किया जावे। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाप को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(... पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)